तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **ओमप्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 01 / 2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.23	अपीलार्थी ओमप्रकाश निवासी ग्राम पोस्ट केलनसर, वाया आउ, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2022 में उसके द्वारा कार्यालय से दिनांक 21.07.2022 को पत्रांक सू.अ.अ. / 2022 / 1165 के रूप में जो सूचना भारतीय डाक के साधारण पत्र से प्राप्त हुई वो सूचना प्रति कार्यालय मुहर से प्रमाणित नहीं होकर मात्र हस्ताक्षर करके आवेदक को भेजी गई, उक्त सूचना पुनः हस्ताक्षर सहित कार्यालयी मुहर से सत्यापति प्रति जो पठनीय हो, उपलब्ध कराने से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। रेस्पो. पक्ष रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी से संबंधित होने के कारण कार्यालय पत्रांक 2516 दिनांक 27.12.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को अंतरित कर दिया गया था। अतः अपील में उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	